Order Sheet [Contd] Case No 149/12 विद्युत

Date of Order or Proceeding with Signature of presiding Parties or Pleaders where proceeding 06.10.2017 Uरिवादी द्वारा श्री ए००० श्रीवास्तव अधिवक्ता। आरोपी हार्रा श्री ए००० श्रीवास्तव ने एक अधिवन्तप श्री ए००० श्रीवास्तव ने एक अधिवन्ता ने श्री प्रमान के अपराध का समन कर आरोपी को दोषमुक्त कियो जाने की प्रार्थना की है। प्रस्तुत आवेदनपत्र पर विचार किया गया। परिवादी द्वारा अपराध का समन किये जाने से आरोपी हाजूरीप्रसाद को विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण समाप्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद		Case No 149/	12 1पधुरा
आरोपी द्वारा श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता। आरोपी हजूरीप्रसाद अनुपस्थित उसकी ओर से हाजरी माफी आवेदनपत्र प्रस्तुत हुआ जो कि विचारोपरांत स्वीकार किया गया। परिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री ए०के० श्रीवास्तव ने एक आवेदनपत्र धारा 152 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जो कि जूनियर इंजीनियर श्री ए०के०उमाले की ओर से प्रस्तुत किया जाना दर्शाया गया है, जिसमें यह आधार लिया गया है कि आरोपी की ओर से नेशनल मेगा लोक अदालत में 27,997 /— रूपए की राशि जमा कराई जा चुकी है एवं समन शुल्क भी जमा किया जा चुका है और इसी आधार पर अपराध का समन कर आरोपी को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रस्तुत आवेदनपत्र पर विचार किया गया। परिवादी द्वारा अपराध का समन किये जाने से आरोपी हजूरीप्रसाद को विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण समाप्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where
	06.10.2017	आरोपी द्वारा श्री एम०एस० यादव अधिवक्ता। आरोपी हजूरीप्रसाद अनुपस्थित उसकी ओर से हाजरी माफी आवेदनपत्र प्रस्तुत हुआ जो कि विचारोपरांत स्वीकार किया गया। परिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री ए०के० श्रीवास्तव ने एक आवेदनपत्र धारा 152 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जो कि जूनियर इंजीनियर श्री ए०के०उमाले की ओर से प्रस्तुत किया जाना दर्शाया गया है, जिसमें यह आधार लिया गया है कि आरोपी की ओर से नेशनल मेगा लोक अदालत में 27,997 /— रूपए की राशि जमा कराई जा चुकी है एवं समन शुल्क भी जमा किया जा चुका है और इसी आधार पर अपराध का समन कर आरोपी को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रस्तुत आवेदनपत्र पर विचार किया गया। परिवादी द्वारा अपराध का समन किये जाने से आरोपी हजूरीप्रसाद को विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण समाप्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।	ALEXA .